अध्याय 4: अनुपालन मामले

इस लेखापरीक्षा के दौरान, हमने 156 मामलों में निर्धारित नियमों/प्रावधानों के अननुपालन के परिणामस्वरूप सेवा कर/ब्याज/स्वच्छ भारत उपकर के गैर/कम भुगतान, सेनवेट क्रेडिट के गलत/अत्यधिक लाभ लेने और सेवा के निर्यात के लाभ के गलत दावे देखे जिनमें ₹ 48.13 करोड़ का राजस्व शामिल था1 इसमें से 69 मामलों में ₹ 7.95 लाख की राशि वसूल की जा चुकी है।

4.1 सेवा कर जमा न करना

यथा संशोधित, वित्त अधिनियम, 1994, की धारा 73ए के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कर का दायी है और उसे किसी भी तरीके से किसी भी राशि जिस पर सेवा कर लगना है, वह ऐसी संग्रहित राशि का आगे केन्द्र सरकार को क्रेडिट करेगा।

कोचीन कमिश्नरी मे मै. इम्प्रेसारियो इवेंट मेंनेजमेंट प्रा. लि. और मै. जीवन टेलीकास्टिंग कारपोरेशन और जयपुर कमिश्नरी में मै. सक्षम इवेंटस के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि इन सभी निर्धारितियों ने अपने द्वारा 2015-16 के दौरान संग्रहीत ₹ 1.17 करोड़ की राशि का सेवा कर सरकार को जमा नहीं करवाया था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (सितम्बर और नवम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने मै. सक्षम इवेंटस के संबंध में ₹ 0.99 लाख के ब्याज के साथ ₹ 12.25 लाख की वसूली की सूचना दी (मई 2017) और मै. इम्प्रेसारियों इवेंट मेनेजमेंट प्रा. लि. के संबंध में कहा कि उन्होंने निर्धारिती को तुरन्त राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए है और मै. जीवन टेलीकास्टिंग कारपॅरेशन के संबंध में कहा कि डीजीसीईआई यूनिट ने निर्धारिती के विरूद्ध मामला दर्ज कर दिया है।

4.2 अतिरिक्त प्रतिफल का मूल्य शामिल न करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 (1)(ii) के अनुसार जहां सेवा कर उसके मूल्य के संदर्भ में कर योग्य सेवा पर प्रभार्य है और जहां सेवा का प्रावधान

पूर्ण रूप से नहीं या आंशिक रूप से पैसे के एक प्रतिफल हेतु नहीं है तो ऐसी कर योगय सेवा का मूल्य ऐसे प्रतिफल के बराबर पेसे के मूल्य सहित होगा।

हमने अतिरिक्त प्रतिफल, जैसे सेवा प्रदाता के स्टाफ को दत्त व्यय जिसे सेवा प्राप्तकर्त्ता द्वारा वहन किया गया, रेस्टोरेंट सेवा की अधिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त शुल्क मुक्त क्रेडिट स्क्रिप्ट मूल्य और कर योग्य मूल्य में शामिल नहीं किए गए विज्ञापन कार्यो के लिए नि:शुल्क एयर टाइम के मामले पाए। इसके परिणामस्वरूप छ: कमिश्नरियों में 11 निर्धारितियों द्वारा ₹4.10 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (नवम्बर और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने दो मामलों अर्थात मै. सी स्क्वेयर प्रोमोस और ईवेन्टस और मै. ओरा इंटिग्रेटड सोल्यूशन्स प्रा. लि. में ब्याज सहित ₹6.17 लाख की वसूली के बारे में बताया (मई 2017) जबकि यह सूचना दी कि दो मामलों (अर्थात् श्री विशाल (अजय) देवगन और श्री अर्जुन रामपाल) में एससीएन जारी किया जा रहा है और एक मामलें में अर्थात् श्री रीतेश विलासराव देशमुख को एसपीएन जारी कर दिया गया था। बाकी मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है।

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:-

मुम्बई एसटी-IV कमिश्नरी में श्री सलमान खान, श्री अर्जुन रामपाल और मुम्बई एसटी III कमिश्नरी में श्री रितेश विलासराव देशमुख और मुम्बई एनटी-VI कमिश्नरी में श्री विशाल (अजय) देवगन के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने प्रोडयूसर और कलाकार के बीच हुए करार से पाया कि प्रोडयूसर ने सेवा प्राप्तकर्ता होने के नाते मेक-अप आर्टिस्ट, हेयर स्टायलिस्ट और स्पॉट बाय की यात्रा, भोजन और आवास के प्रबंध से संबंधत व्ययों को प्रदान और वहन करने के लिए सहमति जताई थी। यद्यपि, यह उक्त सेवा प्राप्तकर्त्ताओं को निर्धारिती द्वारा प्रदत्त सेवा से प्रत्यक्ष और असमाधेय अतिरिक्त प्रतिफल के क्षेत्र में आती है, इस अतिरिक्त प्रतिफल का मूल्य निर्धारितियों के करयोग्य मूल्य में शामिल नहीं किया गया था। 2013-14 से 2015-16 के दौरान अतिरिक्त प्रतिफल को शामिल न करने के परिणामस्वरूप ₹3.47 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (नवम्बर और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने श्री रीतेश विलासराव देशमुख के मामले में एससीएन जारी करने के बारे में बताया (मई 2017) और कहा कि श्री विशाल (अजय) देवगन और श्री अर्जुन रामपाल के मामले में एससीएन जारी किया जा रहा है। श्री सलमान खान के मामलें में उत्तर प्रतीक्षित था।

4.3 सेवा कर का गैर/कम भुगतान करना

14 कमिश्नरियों में हमने लागू सेवा कर प्रावधानों और नियमों के अननुपालन के कारण ₹ 12.56 करोड़ के सेवा कर के गैर/कम भुगतान के 45 मामले पाए।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अक्तूबर और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने 28 मामलों में ₹ 5.93 करोड़ की राशि की आपत्ति स्वीकार करते समय 22 मामलों में ₹ 4.58 करोड़ की वसूली की सूचना दी। बाकी मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2017)।

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

4.3.1. दिल्ली एसटी। कमिश्नरी में मै. प्रसार भारती ब्रोडकास्टिंग कारेर्पोरेश के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने 2014-15 और 2015-16 की अवधि के दौरान इग्नू के ज्ञान वाणी चैनल के लिए एडवांस लाइसेंस शुल्क के संबंध में ₹ 10.43 करोड़ तक की राशि के बीजक जारी किए। तथापि, निर्धारिती ने मै. इग्नू को जारी बीजकों पर ₹ 1.38 करोड़ का सेवा कर प्रभारित नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.38 करोड़ के सेवाकर का भुगतान नहीं हुआ।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार करते समय कहा (मई 2017) कि निर्धारिती ने पूरी राशि जमा करवा दी थी।

4.3.2. दिल्ली एसटी-III कमिश्नरी में मै. नोएडा सोफ्टवेयर टेक्नालजी पार्क लिमिटेड ब्रोडकास्टिंग सेवा, साईंटिफिक और कंसलटेंसी सेवा, कानूनी सेवा, रेंट-ए-कैब सेवा इत्यादि के तहत सेवाएं प्रदान करता है। निर्धारिती के अभिलेखों

के विश्लेषण पर हमने बही खाते में प्रदर्शित सेवा कर भुगतान की तुलना में सेनवेट के माध्यम से दत्त सेवा कर और 2014-15 और 2015-16 की अवधि से संबंधित ₹ 63.41 लाख नकद में अन्तर के कारण सेवा कर का कम भुगतान देखा।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (नवम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि निर्धारिती अपनी सेवाकर देयता शीघ्र जमा करवा देगा और आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

4.3.3 इसी प्रकार दिल्ली एसटी-I कमीश्नरी में इवेन्ट मेनेजमेंट सेवा प्रदान करने वाले मै. सेलिब्रेशन इवेंटस प्रा.लि के मामले में 2013-14 और 2015-16 की अवधि के लिए बही खाते में दर्शाए गए सेवा कर भुगतान की तुलना में सेनवेट के माध्यम से दत्त सेवाकर और ₹ 66.05 लाख के नकद में अन्तर के कारण सेवा कर का कम भुगतान देखा।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त 2016), मंत्रालय ने अपत्ति स्वीकार करते समय कहा (मई 2017) कि निर्धारिती ने पूरी राशि जमा करवा दी थी।

4.4. रिवर्स प्रभार तंत्र के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न होना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68(2) में परिकल्पित है कि सेवा प्राप्तकर्त्ता सेवाओं की विशिष्ट श्रेणियों पर सेवा कर के भुगतान का दायी है।

हमने रेंट-ए-कैब, कानूनी सेवाओं, श्रमबल भर्ती एजेंसी सेवाएं, सेवाओं के आयात इत्यादि से संबंधित सेवाओं पर मनोरंजन क्षेत्र के 16 मामलों में सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रति प्रभार के तहत सेवा कर का भुगतान न होने के मामले देखे जिनमें ₹ 1.01 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त 2016 और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने 12 मामलों में ₹ 98.83 लाख की राशि की आपत्ति स्वीकार की और 11 मामलों में ₹ 92.19 लाख की वसूली की सूचना दी। बाकी चार मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2017)।

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं: -

4.4.1. दिल्ली एसटी-II कमिशनरी में मै. इनफोरमेशन टीवी इंडिया प्रा. लि. जो अन्य सेवाओं के अलावा ब्रोडकास्टिंग सेवाएं प्रदान करता है, के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि निर्धारिती ने 2015-16 की अवधि के लिए प्रति प्रभार तंत्र के अन्तर्गत कानूनी परामर्श, मोटर वाहन किराए पर देने और जासूसी सेवाओं से संबंधित ₹ 22.16 लाख के सेवाकर का भुगतान नहीं किया था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त 2016), और मंत्रालय ने पूरी राशि की वसूली की सूचना दी (मई 2017)।

4.4.2. नोएडा एसटी कमिश्नरी में अन्य सेवाओं के साथ ब्रोडकास्टिंग सेवाएं प्रदान करने वाले मै. सहारा इंडिया टीवी नेटवर्कस के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि निर्धारिती ने 2015-16 की अवधि के लिए प्रति प्रभार तंत्र के अन्तर्गत कानूनी सेवाओं, सेवाओं के आयात, श्रमबल और मोटर वाहन सेवाएं किराए पर देने से संबंधित ₹ 13.05 लाख के सेवाकर का भुगतान नही किया था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त 2016), और मंत्रालय ने कहा कि उत्तर भेज दिया जाएगा (मई 2017)।

4.5. सेनवेट क्रेडिट का अनुचित/अधिक लाभ उठाना

4.5.1. इनपुट सेवाओं पर अयोग्य क्रेडिट

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 2(l) अन्य बातों के साथ साथ इनपुट सेवाओं को एक आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए एक आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा प्रयुक्त किसी सेवा के रूप में परिभाषित करता है और इसमें यह सेवाएं शामिल है जैसे आधुनिकीकरण, फैक्ट्री का नवीकरण या मरम्मत, इत्यादि किन्तु मोटर वाहन को किराए पर देने के माध्यम से प्रदत्त सेवा को छोडकर क्योंकि वह मोटर वाहन से संबंधित प्रदत्त है जो एक पूंजीगत माल नहीं है, आउटडोर केटरिंग से संबंधित सेवाएं, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कोस्मेटिक

और प्लास्टिक सर्जरी, एक क्लब की सदस्यता, स्वास्थ्य, और फिटनेस केन्द्र, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और छुट्टियों पर कार्मिकों को यात्रा लाभ देना जैसे अवकाश या गृह यात्रा रियायत से संबंधित हैं, जब ऐसी सेवाएं मुख्यत: किसी कार्मिक के व्यक्तिगत उपयोग या उपभोग के लिए प्रयुक्त होती है।

सात कमिश्नरियों मे अभिलेखों की जांच के दौरान हमने 12 मामले पाए जिनमें निर्धारितियों ने 2013-14 से 2015-16 के दौरान अयोग्य इनपुट सेवाओं पर ₹ 1.02 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित रूप से लाभ लिया था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त 2016 और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने चार मामलों में ₹ 36.64 लाख की राशि वाली आपत्ति को स्वीकार करते समय तीन मामलों में ₹ 15.68 लाख की वसूली की सूचना दी। जबकि ₹ 61.28 लाख की राशि वाले छ: मामलों में क्षेत्रीय संरचनाओं ने चार मामलों में ₹ 41.65 लाख की वसूली की सूचना दी, मंत्रालय से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई थी। बाकी दो मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2017)।

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए है:

4.5.1.1. मुम्बई एसटी-III कमिश्नरी में मै.वाटसन इंडिया मीड़िया प्रा.लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती की कम्पनी को बेचने की योजना थी जिसके लिए एक एजेंसी मै. वायरस टेक्नो इन्नोवेशन प्रा.लि. को कम्पनी को खरीदने के लिए एक संभावित निवेशक ढूढंने के लिए नियुक्त किया गया था। निर्धारिती ने एजेंसी को ₹ 30.90 लाख के सेवा कर सहित ₹ 2.80 करोड़ का भुगतान किया और ₹ 30.90 लाख के क्रेडिट का लाभ भी लिया। निर्धारिती द्वारा क्रेडिट का लाभ सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(I) के तहत योग्य नहीं था क्योंकि यह सेवा आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.90 लाख के सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (नवम्बर 2016), मंत्रालय ने ब्याज सहित ₹ 32.42 लाख की वसूली की सूचना दी (मई 2017)।

4.5.1.2. चेन्नई एसटी-II कमिश्नरी में मै. पोलिमर मीडिया प्रा.लि. जो अन्य सेवाओं के अलावा ब्रोडकास्टिंग सेवाएं प्रदान करता है, के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया कि निर्धारिती ने 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान वाहन किराया प्रभारों से संबंधित सेवाओं पर ₹ 17.87 लाख की इनपुट सेवा क्रेडिट का लाभ लिया था। निर्धारिती द्वारा किराए पर लिए गए मोटर वाहन पूंजीगत माल की परिभाषा में नहीं आते और इसलिए वह इनपुट क्रेडिट का लाभ लेने के लिए अयोग्य था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.87 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त 2016), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते समय कहा (मई 2017) कि एससीएन जारी होने के अधीन था।

4.5.2. सेनवेट क्रेडिट का अत्यधिक लाभ लेना

एक सेवा प्रदाता अपने सेवा कार्यों और इनपुटों पर दत्त शुल्क और/या पूंजीगत माल से संबंधित इनपुट सेवाओं पर दत्त सेवा कर के क्रेडिट का लाभ ले सकता है और सेवा कर के भुगतान में लिए गए उस लाभ पर क्रेडिट का उपयोग कर सकता है।

आठ कमिश्नरियों में अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि 11 मामलों में 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 73.00 लाख की राशि तक के सेनवेट क्रेडिट का अधिक लाभ लिया गया था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (सितम्बर और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय/विभाग ने पांच मामलों में ₹ 17.74 लाख की राशि वाली आपत्ति को स्वीकार करते समय तीन मामलों में ₹10.84 लाख की वसूली की सूचना दी। शेष छः मामलो में मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2017)।

4.5.3. अनुचित दस्तावेज पर लिया गया सेनवेट क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 9 उन दस्तावेजो को विनिर्दिष्ट करता है जिसके आधार पर विनिर्माता/सेवाप्रदाता को शुल्क/सेवा कर पर

इनपुट/पूंजीगत वस्तुओं या इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की अनुमति दी जाती है।

अभिलेखो की जांच के दौरान हमने चार कमिश्नरियों में छः मामले देखे जहां सेनवेट क्रेडिट का लाभ अनुचित दस्तावेजो के आधार पर उठाया गया था। इसके परिणामस्वरूप 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹ 1.25 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ उठाया गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने दो मामलो में शामिल ₹ 3.43 लाख की आपत्तियों को माना और इन दो मामलो में से एक में ₹1.91 लाख की वसूली को सूचित किया। बकाया चार मामलों में मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2017)।

एक सोदाहरण मामला निम्नलिखित है:

मै. लमहास सेटेलाईट सर्विसेज लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान मुम्बई एसटी-VII कमिश्नरी में, हमने पाया कि निर्धारिती ने 2013-14 से 2015-16 के दौरान प्रोर्फोमा बीजक के आधार पर ₹ 58.15 लाख के क्रेडिट का लाभ उठाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 58.15 लाख के सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाया गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि उत्तर आगे दिया जाएगा।

4.5.4. सेनवेट क्रेडिट का उलटाव न करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(2) के अनुसार जहां निर्धारिती शुल्क योग्य तथा छूट प्राप्त सेवाओं दोनों से संबंधित है वहां वह प्राप्ति, खपत और शुल्क योग्य सेवा में उपयोग के लिए अभिप्रेत इनपुट/इनपुट सेवाओं की इन्वेंट्री और वे जो छूट प्राप्त सेवा में उपयोग के लिए अभिप्रेत है और केवल पुराने भाग का क्रेडिट लेना है, के लिए पृथक लेखा अनुरक्षण करेगा। आगे पृथक लेखाओं के अनुरक्षण का विकल्प न होने वाले आउटपुट सेवा प्रदाता छूट प्राप्त वस्तुओं और छूट प्राप्त सेवाओं को मूल्य के छः प्रतिशत के बराबर

भुगतान या सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के उप-नियम 3ए[20] के तहत निर्धारित राशि का भुगतान करेगें। नियम 2(ई) के अनुसार, 'छूट प्राप्त सेवाएं' का तात्पर्य करयोग्य सेवाएं जिन पर उगाही योग्य सेवा कर से पूर्ण छूट है और इसमें वह सेवाएं शामिल है जिन पर वित अधिनियम की धारा 66बी के तहत कोई सेवा कर उदग्राहय नहीं है। आगे वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66डी(ई) के अनुसार वस्तुओं का व्यापार नकारात्मक सूची में एक मद है।

हमने नौ कमिश्नरियों में 15 मामले देखें जिनमें निर्धारिती ने समीक्षा अवधि के दौरान सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6 के अन्तर्गत देय ₹ 18.73 करोड़ की राशि को न वापसी की गई थी और न ही कम वापसी की गई थी।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने सात मामलो में शामिल ₹ 60.03 लाख की राशि की आपतियों को माना और पांच मामलों में ₹ 47.95 लाख की वसूली को सूचित किया। एक मामले में मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जिसकी चर्चा नीचे की गई है। बकाया मामलों में मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2017)।

कुछ सोदाहरण मामले निम्नप्रकार से है: -

4.5.4.1. मुम्बई एसटी-IV कमिश्नरी में मै. प्राईम फोकस लिमिटेड (पीएफएल) के अभिलेखो की जांच के दौरान में हमने पाया कि निर्धारिती ने रूपान्तरण व्यवसाय को चण्डीगढ़ और मुम्बई में एक साथ सभी फर्जी माने गए दायित्वों के साथ सभी परिसंपतियों और कर्मचारियों को एक चालू प्रतिष्ठान में मै. प्राईम फोकस वर्ल्ड क्रिऐटिव सर्विसेस प्रा. लि. के लिए व्यापार अन्तरण अनुबंध के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया। निर्धारिती ने 2013-14 और 2014-15 के दौरान इस स्थानान्तरण के प्रति ₹ 229.70 करोड़ का प्रतिफल प्राप्त किया। एक चालू प्रतिष्ठान पर व्यापार अन्तरण छूट प्राप्त सेवा है और निर्धारिती किसी पृथक लेखा का भी अनुरंक्षण नहीं कर रहा था। अत:

[20] निर्धारिती पुर्व वर्ष के आंकडो पर आधारित अस्थाई रूप से प्रत्येक माह अयोग्य क्रेडिट की राशि का भुगतान कर सकता है। और वर्ष के आपत्ति पर वास्तविक राशि पर आधारित वास्तविक आयोग्य क्रेडिट की निकासी और किसी अन्य भिन्नता के साथ ब्याज भुगतान करें।

निर्धारिती को छूट प्राप्त सेवा के मूल्य के 6 प्रतिशत पर संगणित ₹ 13.78 करोड़ राशि जो इस छूट प्राप्त सेवा से संबंधित है, पर सेनवेट क्रेडिट उलटाव अपेक्षित था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा कि (मई 2017) कि व्यापार के स्थानान्तरण में पूर्ण रूप से विभिन्न परिसंपत्तियां और व्यापार देयताएं शामिल है। इसलिए यह सेवा के रूप में योग्य नहीं है जैसा वित्त अधिनियम, 1944 की धारा 65(44) के अन्तर्गत परिभाषित है। अत: सेनवेट क्रेडिट का कोई उल्टाव अपेक्षित नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापार अन्तरण करार के अनुसार चल एवं अचल परिसंपत्तियों सहित परिसंपतियों को स्थानान्तरण किया गया है। अत: यह सेवा योग्य के रूप में वित्त अधिनियम, 1944 की धारा 65(44) के तहत परिभाषित होती है और निर्धारिती को सेनवेट क्रेडिट उलटाव अपेक्षित था जिसकी संगणना छूट प्राप्त सेवा के 6 प्रतिशत कीमत पर की गई थी।

4.5.4.2. दिल्ली एसटी-।। कमिश्नरी में मै. जागरण प्रकाशन लि. के अभीलेखो की जांच के दौरान, हमने पाया कि निर्धारिती ने दोनों कर योग्य और छूट प्राप्त सेवा प्रदान की थी और इनपुट सेवा के लिए प्रयोग की गई करयोग्य आय और छूट प्राप्त सेवाओं के संबंध में सभी प्रशासनिक सेवाऐं अर्थात किराया देना, कोरियर देना, विधिक इत्यादि के लिए पृथक लेखा का अनुरक्षण नही किया था। अत: निर्धारिती 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹ 29.24 करोड़ की छूट प्राप्त सेवा का छ: प्रतिशत की दर से ₹ 1.75 करोड़ राशि के भुगतान का दायी है।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (सितम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) एससीएन जारी किया जा रहा है।

4.5.5. पुराने बीजकों पर सेनवेट क्रेडिट

1 सितम्बर 2014 से संशोधित सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि उपरोक्त नियम 9 के तहत जारी दस्तावेजों की तिथि से छ: माह के पश्चात सेनवेट क्रेडिट

स्वीकृत नही किया जाएगा। इसकी समय सीमा 1 मार्च 2015 से छः माह की बजाय एक वर्ष कर दी गई थी।

दिल्ली एसटी-।।। कमिश्नरी में मै. डेन इंजाय केबल प्रा. लि. और मै. एमएच वन टीवी नेटवर्क लि. और कोचीन कमिश्नरी में मै. एक्जीक्यूटीव इवेंटस के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने पाया कि निर्धारिती ने 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान छः माह/एक वर्ष से पुराने बीजकों के आधार पर भुगतान किए गए शुल्क के क्रेडिट का लाभ उठाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.32 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (सितम्बर और नवम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने दो मामलो में आपत्तियों को स्वीकार करते हुए मै. डेन इंजाय केबल प्रा. लि. के मामले में ₹ 0.87 लाख की वसूली को सूचित किया। मै. एक्जीक्यूटीव इवेंट के मामले में उत्तर प्रतीक्षित है।

4.5.6. बिना भुगतान किये सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4 के उपनियम 7 में निर्धारित है कि इनपुट सेवा के संबंध में सेनवेट क्रेडिट उस दिन या उस दिन के बाद अनुमति दी जाएगी जिस पर नियम 9 में निर्दिष्ट बीजक, बिल या जैसा भी मामला हो, चालान प्राप्त किए गए है। आगे कथित नियम के परन्तुक में प्रावधान है कि किसी मामले में इनपुट सेवा के मूल्य और प्रदत्त या देय सेवाकर जैसा कि बीजक/बिल में दर्शाया गया है, को बीजक/बिल की तिथि से तीन माह के भीतर भुगतान नही किया जाता है तो सेवा प्रदाता जिसने ऐसी इनपुट सेवा कर क्रेडिट लिया है, को उस ऐसी इनपुट सेवा पर प्राप्त सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।

आगे यह नियम प्रावधान करता है कि यदि कोई भुगतान या उसका कोई भाग जो इनपुट सेवा के प्रति किया गया, वापस किया जाता है या क्रेडिट नोट को विनिर्माता या सेवा प्रदात्ता द्वारा प्राप्त किया है जिन्होंने ऐसे इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट लिया है तो वह उसके जितनी राशि के संबंध में वापस या क्रेडिट ली गई सेनवेट क्रेडिट को उसके बराबर भुगतान करेगा।

अभिलेखो की जांच के दौरान पांच कमिश्नरियों के छः मामलों में हमने पाया कि जहां सेवा प्रदाता ने उपरोक्त नियमों के उल्लंघन में इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था चाहे उस पर भारित सेवा कर के साथ इनपुट सेवा के मूल्य के लिए तीन माह की तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.93 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने चार मामलों में ₹ 28.20 लाख की शामिल राशि की आपत्ति को स्वीकार करते हुए दो मामलो में ₹ 6.62 लाख की वसूली की सूचना दी शेष मामलो में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2017)।

एक सोदाहरण मामला निम्नलिखित है:-

नोएडा एसटी कमिश्नरी में मै. सहारा इंडिया टीवी नेटवर्क के अभिलेखो की संवीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने इनपुट सेवा के संबंध में ₹ 4.56 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट का लाभ और उपयोग किया था जिसमें निर्धारिती ने लेखापरीक्षा की तिथि तक (नवम्बर 2016) इनपुट सेवा के मूल्य का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 4.56 करोड़ का अनियमित लाभ उठाया गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (नवम्बर 2016), जिस समय मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2017), निर्धारिती ने को ₹ 4.56 करोड़ के क्रेडिट को उलट दिया(दिसम्बर 2016)।

4.5.7. बिकी हुई पूंजीगत वस्तुओं पर आनुपातिक सेनवेट क्रेडिट का उलटाव न करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5ए)(ए)(ii) के अनुसार, यदि पूंजीगत वस्तुएं जिन पर सेनवेट क्रेडिट लगाया गया था, को उपयोग उपरान्त हटाया गया है तो आऊट पुट सेवा प्रदाता सेनवेट क्रेडिट लेने की तिथि से एक वर्ष की प्रत्येक तिमाही अथवा उसके भाग के लिए 2.5 प्रतिशत की दर पर स्ट्रेटलाइन विधि द्वारा संगणित किए गए प्रतिशत बिंदुओं द्वारा घटाकर

कथित पूंजीगत वस्तुओं पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

चेन्नई एसटी-।। कमिश्नरी के मै. सारावानन विडियो सेन्टर और कोचीन कमिश्नरी के मै. केरला कम्युनीकेशन केबल लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने आयातित पूंजीगत वस्तुओं को बेच दिया था (जिन पर वे पहले ही सेनवेट क्रेडिट प्राप्त कर चुका था) लेकिन 2013-14 से 2015-16 के दौरान सेनवेट क्रेडिट के बराबर उलटाव की चूक कर चुका था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.44 लाख के सेनवेट क्रेडिट का उलटाव नही हुआ।

हमने इसके बारे में बताया (सितम्बर और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने मै. सारावानन विडियो सेन्टर के संबंध में ₹ 9.12 लाख की वसूली की सूचना दी (मई 2017) और कहा कि मै. केरला कम्युनीकेशन केबल लिमिटेड को एसीएन जारी किया जा रहा है।

4.6. स्वच्छ भारत उपकर का गैर/कम भुगतान

वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 119 में 15 नवम्बर 2015 से सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत की दर पर स्वच्छ भारत उपकर (सीबीसी) के उदग्रहण एवं संग्रहण के लिए प्रावधान निर्दिष्ट है।

चार कमिश्नरियों में अभिलेखो की जांच के दौरान हमने पाया कि छ: निर्धारितीयों द्वारा स्वच्छ भारत उपकर का ₹ 56.99 लाख भुगतान नही किया गया था। जब हमने यह उल्लेख किया (अगस्त और नवम्बर 2016 के बीच) मंत्रालय ने सभी मामलों में आपत्तियों को स्वीकार करते समय ₹ 56.27 लाख की वसूली की सूचना दी (मई 2017)।

4.7. ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 में परिकल्पित है कि प्रत्येक व्यक्ति, धारा 68 या उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधान के अनुसार कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, जो कर या उसके भाग को केन्द्रीय सरकार के

लेखा में निर्धारित अवधि के भीतर क्रेडिट करने में असफल रहता है तो वह उस अवधि हेतु, जिसमें इस प्रकार के कर या उसके भाग को क्रेडिट करने के विलंब हुआ था, के लिए वह ब्याज का भुगतान करेगा।

अभिलेखों की जांच के दौरान हमने नौ कमिश्नरियों में 19 मामलों में सेवाकर के विलंबित भुगतान पर ₹ 1.45 करोड़ के ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान करना देखा।

हमने उनका उल्लेख किया (अगस्त और दिसम्बर 2016 के बीच) मंत्रालय ने 12 मामलों में ₹ 97.75 लाख की राशि वाली आपत्तियों को स्वीकार कर लिया और सात मामलों में ₹ 35.82 लाख की वसूली की सूचना दी। शेष सात मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2017)।

सोदाहरण दो मामले निम्नलिखित है:-

4.7.1. कोचीन कमिश्नरी में इवेन्ट मैनेजमेन्ट सेवा में लगे मै. इम्प्रेसारियो इवेंट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि उन्होने 2013-14 और 2014-15 वर्षो के लिए क्रमश: ₹ 70.07 लाख और ₹ 56.32 लाख के सेवा कर का 250 दिनों से 544 दिनों तक के बीच विलम्ब से भुगतान किया। लेकिन ₹ 28.41 लाख के लागू ब्याज का ना तो निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा मांग की गई थी।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अक्तूबर 2016), मंत्रालय ने बताया है (मई 2017) कि उन्होंने निर्धारिती को राशि का भुगतान करने के निर्देश दिये है।

4.7.2. मुम्बई एसटी-VI कमिश्नरी में प्रोग्राम प्रोडयुसर सर्विस उपलब्ध कराने में लगे मै. मिस्टिक एक मनोरंजन कम्पनी के रिकॉर्ड की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹ 21.04 लाख के ब्याज का कम भुगतान किया था जिस पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अक्तूबर 2016), मंत्रालय ने बताया (मई 2017) कि उत्तर भेजा जाएगा।

निर्धारितियों द्वारा कराधान नियमों की अननुपालना के उदाहरण अननुपालन को अधिक कठिन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और डाटा विश्लेषण के आधार पर अधिक स्वचालित अनुपालन सत्यापन तंत्र को संस्थापित करने की आवश्यकता को इंगित करते हैं।

नई दिल्ली **(हिमबिन्दु मुडुंबै)**

दिनांक: 11 जुलाई 2017 **प्रधान निदेशक (सेवा कर)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांक: 11 जुलाई 2017 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**